राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित / डीपीसी / सर्टि.कोर्स / 2015 / 73 दिनांक 18.02.2015

आदेश

सेवारत चिकित्सकों (एम.बी.बी.एस.) को राज्य की 6 मेडिकल कॉलेजों से 10 विशिष्ठताओं में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त सर्टिफिकेट कोर्स हेतु योग्यता मापदंडानुसार तैयार की गई दो अस्थाई मेरिट सूचियों (Provisional Lists) का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट (www.rajswasthaya.nic.in) पर किया जाकर दिनांक 20.01.2015 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी।

इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त अंतिम मेरिट सूचियों (Final Merit List) का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र किया जाएगा। एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में विशिष्ठतावार / मेडिकल कॉलेज आवंटन हेतु काउन्सलिंग निदेशालय के मीटिंग हॉल में निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	काउन्सलिंग दिनांक	समय
1.	1 से 150 तक (प्रथम सूची)	27.02.2015	प्रातः 10 बजे से
2.	151 से 300 तक (प्रथम सूची)	28.02.2015	प्रातः 10 बजे से
3.	शेष प्रथम सूची एवं द्वितीय सूची	01.03.2015	प्रातः 10 बजे से

जो अभ्यर्थी अपने मेरिट नम्बर पर काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होंगे, उनको उस तिथि के अंतिम अभ्यार्थी के बाद काउन्सलिंग में शामिल किया जाएगा।

एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स दिनांक 02.03.2015 (सोमवार) से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त काउन्सलिंग में चिकित्सक का स्वयं का उपस्थित होना आवश्यक होगा। काउन्सलिंग के दौरान दिए गए विकल्प अनुसार विशिष्ठता आवंटन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। चिकित्सक द्वारा विकल्प पर सहमति दिए जाने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से उपस्थिति दी जानी आवश्यक होगी। इसकी पालना नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। उक्त सर्टिफिकेट कोर्स पूर्णतः एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के लिए पूर्व में जारी मापदंडानुसार करवाया जा रहा है। यदि कोई चिकित्सक झूठी / गलत सूचना के आधार पर चयनित हो जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर उसका चयन बिना किसी सूचना के निरस्त किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

चयनित चिकित्सक को 100/- रूपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर रूपए 25 लाख का बॉण्ड एवं 10 वर्ष की राजकीय सेवा का निर्धारित प्रपत्र में बंध पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी को कार्यमुक्त होते समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित / डीपीसी / सर्टि.कोर्स / 2015 / 73 दिनांक 18.02.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः--

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / कोटा को भेजकर अनुरोध है कि चयनित चिकित्सकों को उनकी विशिष्ठतानुसार संबंधित विभागाध्यक्ष के अधीन प्रशिक्षण हेतु लगाया जाकर सूचना इस निदेशालय को भिजवाये।
6. सयुंक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप--2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक (ई.एस.आई.), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि चयन पश्चात चिकित्सकों को अविलम्ब उक्त कोर्स हेतु कार्यमुक्त कर आवंटित मेडिकल कॉलेज में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
10. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें एवं मेल द्वारा सभी सम्बन्धित को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. केयरटेकर / स्टोरकीपर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि काउन्सलिंग तिथियों को मीटिंग हॉल में आवश्यक व्यवस्था करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर